

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व बैंड मंडल ग्वालियर,

जिला-जबलपुर, म0प्र0

रा.अ.प्र.कं.- अपील- ८४६/२०१८/करनी/ख-२-

अपीलार्थी:-

ए.बी. बिल्डफेम प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा श्री
ए०के०शर्मा, आत्मज श्री वाई०के०शर्मा, निवासी-

विरुद्ध

उत्तरार्थी:-

मध्यप्रदेश शासन

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

श्री १० कृष्ण शर्मा
आधिकृत आपीलार्थी विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि:-

प्रस्तुतप्राप्त अपील (राजस्व अंडल)

१५ SEP अपीलार्थी की ओर से उपरोक्त अपील विचारण न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर

महोदय, कटनी, जिला-कटनी द्वारा रा.प्र.कं. ०८/अ-२५/ २०१७-१८ में
अधीकृत कार्यालय कमिशनर जारी किया गया अपील आदेश दिनांक ०८/०५/२०१८ से क्यायित होकर निम्नलिखित तथ्यों

Not posted
25.9.18
एवं आधारों पर प्रस्तुत है।

अपील के तथ्य




- यह कि, अपीलार्थी उपरोक्त पते का निवासी है और ए.बी. बिल्डफेम प्राइवेट लिमिटेड, में उपरोक्त कार्य के लिये अधिकृत किया गया है।
- यह कि, अपीलार्थी द्वारा कंपनी की ओर से अधिकृत होकर ग्राम मठवारा, प.ह.नं. 78, रा.नि.मं. स्लिमनाबाद, तहसील बहोरीबंद, स्थित खसरा नंबर-422 रकवा 0.76 हेक्टेयर, आवेदक के भूमिख्वामी हक की भूमि के बदले शासकीय भूमि ख.नं. 373, रकवा 4.92 हेक्टेयर, भूमि में से 0.76 हेक्टेयर, भूमि तबादले में दिये जाने की मांग की ग़इरजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा गया। और उसके द्वारा नामांतरण कर दर्ज कराया गया है।
- यह कि, आवेदक कंपनी द्वारा उपरोक्त ग्राम में वृक्षारोपण का कार्य कर्त्ता भूमि पांच दिनों के लिए दर्ज कराया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अप्रैल / 5886 / 2018 / कटनी / भूरा

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा तकों आदि के हस्ताक्षर
5 -10-18	<p>अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री राजेश कुमार खरे उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। विचारोपरांत प्रकरण आगे न चलाने के कारण प्रकरण (नोट प्रेस) में समाप्त किया जाता है।</p>  <p>सदस्य</p> 